...यालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

...सख्या : 26/2014

1. परमानन्द
2. लक्ष्मीनारायण } पुत्र सीताराम } जातियान माली निवासीगण मांगरोल तह0 मांगरोल
3. महेन्द्र कुमार पुत्र बजरंग लाल
4. शीला
5. मोहनी } पुत्रियां बजरंगलाल जातियान माली निवासीगण मांगरोल तह0 मांगरोल
6. कविता
7. अनार बाई बेवा बजरंग लाल

....प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर0एल0आर0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री हरीश राजावत
दायरा दिनांक: 10.07.2014 निर्णय दिनांक : 05.03.2018

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 3398 रकबा 0.31 है0 वाके माल सीसवाली तह0 मांगरोल जिला बारां में स्थित है, जिसके सेटलमेंट से पूर्व साबिक खसरा नं0 1323 रकबा 4 बीघा 04 बिस्वा रेकार्ड खाते दर्ज था जिसके बाद सेटलमेंट उक्त खसरा नम्बर 3392 का रकबा 0.31 है0 कायम किया गया जो कम दर्ज किया गया इस प्रकार गत रकबे के मुकाबले प्रार्थीगण के खाते में 0.36 है0 कम दर्ज किया गया है। जबकि प्रार्थीगण के खाते में 0.67 है0 दर्ज किया जाना चाहिए था जिसको प्रार्थीगण दुरूस्त करवा कर अपने खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण के कम किया गया रकबा दुरूस्त किया राजस्व रेकार्ड में खसरा नं0 3398 रकबा 0.67 है0 दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मांगरोल से जांच रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार मांगरोल ने अपने पत्र कमांक/भू0अ0/2016/ सर्किल केम्प रायथल/9 दिनांक 05.07.2016 से अपनी रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम मांगरोल में सेटलमेंट से पूर्व खाते में आराजी खसरा नं0 1288 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 1323 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं0 1858 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नं0 1870 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नं0 1266 रकबा 16 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा भूमि दर्ज थी मिलान क्षेत्रफल के अनुसार नये खसरा नम्बर 1288 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा के खसरा नं0 2313 रकबा 0.64 है0, खसरा नं0 2306 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 2307 रकबा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

, खसरा नं0 1323 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा के नया नम्बर 3398 रकबा 0.31 है0, खसरा नं0 1858 6 बिस्वा का नया खसरा नं0 2811 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 1870 रकबा 9 बिस्वा का नया खसरा 2814 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 1266 रकबा 16 बिस्वा के नये नम्बर 2310 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 2311 रकबा 0.11 है0 बनते है। खसरा नं0 2306 रकबा 0.13 है0, व खसरा नं0 2307 रकबा 0.12 है0 को छोडकर शेष आराजी 1.34 है0 खाते में दर्ज है। इस प्रकार कुल खाते के हिसाब से रकबे में गत 10 बीघा 8 बिस्वा (1.66 है0) के मुकाबले 0.32 है0 की कमी पायी, लेकिन प्रभावित आराजी गत 1323 का 1 बीघा 6 बिस्वा रकबा गैर मु0 नहर में जा चुका है। जो गैर मु0 नहर खसरा नं0 3402 रकबा 8.37 है0 के मिलान क्षेत्रफल से प्रमाणित है। आराजी खसरा नं0 3402 रकबा 8.37 है0 के मिलान क्षेत्रफल, खसरा नं0 1314 मिन 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं0 1327 मिन 5 बीघा 5 बिस्वा गै0 मु0 नहर खसरा नं0 1323 मिन रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा खसरा नं0 1539 मिन 7 बिस्वा, खसरा नं0 1324 मिन 11 बिस्वा, खसरा नं0 1532 मिन 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0 1325 मिन0 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं0 1326 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा बनते है। इस प्रकार प्रार्थी की आराजी में से खसरा नं0 2306 रकबा 0.13 है0 व खसरा नं0 2307 रकबा 0. 12 है0 नगर पालिका मांगरोल के नाम दर्ज है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थी की ग्राम सीसवाली में स्थित वर्तमान रकबा 0.31 है0 में कमी रकबा 0.36 है0 की पूर्ति की जाकर 0.67 है0 राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। तहसीलदार मांगरोल जो भूमि धारक लैण्ड होल्डर है और राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निर्णय पर पहुचा है कि चूकि प्रार्थी की आराजी के समीपस्थ स्थित किसी भी आराजी में रकबा बढा हुआ नही पाया गया है एवं प्रार्थी ने यह भी स्पष्ट नही किया है कि किस खसरा नं0 में से कमी रकबे की पूर्ति की जानी है। और नही वादी के धारित कृषि भूमि रकबे के पडौस में कोई सिवायचक काबिल काश्त भूमि पडत पडी हुई है जो कमी पूर्ति के तौर पर वादी को दी जा सके। अतः प्रार्थी के कमी रकबे की पूर्ति किया जाना संभव नही होने से पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली में निर्णय मजमें आम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।